न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : 2008/612

1. ठाकुरजी श्री गोपालजी विराजमान केशोपुरा तहसील सांगानेर जरिये श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री भंवरलाल जो जाति ब्राह्मण पुजारी निवासी केशोपुरा बावडी भांखरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. नारायणलाल पुत्र शंकरलाल
2. रामशरण पुत्र नारायणलाल
3. गंगाराम पुत्र नारायणलाल
4. पवनकुमार पुत्र नारायणलाल
5. रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल
6. मनभर पत्नि नारायणलाल
7. प्रेम पत्नि रामशरण
8. भंवरी पत्नि पवनकुमार
9. माया पत्नि रामस्वरूप

समस्त जातियान ब्राहम्ण निवासीगण केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 13/09/2019

निर्णय

वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता वाद प्रस्तुत किया गया कि वाकै ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में आराजी खसरा नंबर 53, 183 व 184 किता तीन स्थित है। विवादग्रस्त भूमि का वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है ठाकुरजी श्री गोपालजी के प्रबंधक व व्यवस्थापक एवं पुजारी श्री स्व0 भंवरलाल पुत्र शंकरलाल थे कि जिन्होने उक्त मन्दिर का सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर से सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत प्रन्यास पंजीकृत दिनांक 13.01.87 ई0 को करवाया व श्री स्व0 भंवरलाल शर्मा इस प्रन्यास के एक मात्र सील प्रन्यासी व प्रबंधक थे व प्रन्यासी के उत्तराधिकारी का तरीका हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार निश्चित किया गया। श्री भंवरलाल जी

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

का स्वर्गवास दिनांक 07.01.89 ई0 को हो चुका है। श्री भंवरलाल ने अपनी मृत्यु के काफी अर्सा पर्व दिनांक 03.06.1985 ई0 को एक वसीयत अपनी पुत्री श्रीमती कृष्णा देवी के हक में तहरीर व तकमील कर उप पंजीयक सांगानेर के समक्ष पंजीकृत करवा दी। ठाकुरजी श्री गोपालजी की एक मात्र सेवायत, प्रबंधक व्यवस्थापक श्रीमती कृष्णा देवी है। प्रतिवादीगण कि जिनका विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी कब्जे से कोई संबंध नहीं है। मंदिर की भूमि को बरबाद करने को आतुर है। प्रतिवादीगण स्वर्गीय भंवरलाल के भाई भतीजे व भाई भतीजों की पत्नियां है व संख्या में अधिक है जबकि श्रीमती कृष्णा देवी जो कि अकेली है को लठ्ठ की ताकत पर विवादग्रस्त भूमि हडप करना चाहते है। प्रतिवादीगण वादी की भूमि को नष्ट भ्रष्ट करने को आतुर है विवादग्रस्त भूमि पर आमों के पेड लगे है व दीगर कई पेड विध्यमान वर्षो से रहे है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 17.01.1990 को 10 पेड आम व 5 पेड़ बबूल के काट लिये है। यही नही मन्दिर श्री गोपाजी के मकान को क्षतिग्रस्त करने को उद्धत है। प्रार्थीनी ने प्रतिवादीगण द्वारा पेडो को काटने व मन्दिर भवन को नुकसान पहुंचाने का अन्देशा होने पर प्रार्थीनी ने 15.01.90 ई0 को सहायक देवस्थान आयुक्त महोदय को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था। प्रतिवादी संख्या 1 ने सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों से साजकर अपने नाम 15.11.84 ई0 को आदेश करवा लिया था कि जिसकी अपील भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के समक्ष विचाराधीन है एवं उक्त निर्णय मन्दिर वादी के अधिकारों के विरूद्व होने से गैर कानूनी है व बिना क्षेत्राधिकार है। प्रतिवादीगण मन्दिर की उक्त जायदाद को बेचने को उद्धत हैं और इसी उद्वेशय से उन्होने भूमि पर नीव खोदना प्रारम्भ कर दिया है व धडाधड मकान बनाना चाहते है व उन मकानो को ऊँचे दामो मे बेचेगें। प्रतिवादीगण जो संख्या में अधिक है ने जब 19.01.91 ई0 को वादी की भूमि पर नीव खोदना चालू किया तो वादी की सेवायत, प्रबंध व व्यवस्थापक श्रीमती कृष्णा देवी ने नीव खोदने से मना किया तो प्रतिवादीगण मरने मारने को आमादा हो गये व एलानिया रूप से धमकी दी कि हम इस जमीन में मकान बनाएगें व भूमि एवं मकानों को उंचे दामें में बेचेगें। अन्त में प्रार्थना की गई है कि दावा विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री सादिर फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को वाकई प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि मुन्दर्जा मद नं0 1 अर्जी दावा पर कोई मजाहमत मदाखलत न करे, वादी को बेदखल न करें, उसमें पेडो को न काटे व मन्दिर को नष्ट न करें एवं कोइ निर्माण कार्य नही करें, भूमि का विक्रय हस्तान्तरण न करें।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ नकल आदेश सहायक आयुक्त देवस्थान दिनांक 13.01.87, नकल रजिस्टर सार्वजनिक प्रन्यास, नकल आदेश सहायक आयुक्त देवस्थान, वसीयत दिनांक 03.06.1985, मृत्यु प्रमाण पत्र, नकल फैसला एसडीएम जयपुर दिनांक 24.04.1976, पर्चा खतौनी नकल, नकल आदेश देवस्थान विभाग दिनांक 11.04.90 ई0 पेश किये जो शामिल पत्रावली है। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री बृजराजगोतम एडवोकेट उपस्थित आये। जवाब दावा प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया गया जिसमें अंकित है कि विवादित आराजी की खातेदारी मन्दिर श्री गोपाल जी के नाम है। मन्दिर श्री गोपाल जी का व्यस्थापक व पुजारी स्वर्गीय नारायण लाल जी थे अब नारायण लाल जी के देहान्त के बाद प्रतिवादी नंबर 2 ता 5 मन्दिर के पुजारी व व्यस्थापक है। श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री भंवर लाल जी को ठाकुर जी श्री गोपाल जी की ओर से वर्तमान दावा करने का अधिकार नही है। न कृष्णा देवी कभी पुजारी थी न अब है, न कानूनन श्रीमती कृष्णा देवी पुजारी हो ही सकती है। भंवर लाल जी एक मात्र ट्रस्टी या प्रन्यासी कभी नही रहे, न कभी बतौर एक मात्र ट्रस्टी कोई पंजीयन कराया, न मन्दिर के पुजारी के उत्तराधिकार का मामला हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत होना स्वीकार ही किया गया है, अगर ऐसा पंजीयन देवस्थान विभाग ने किया है तो अवैध व बिना अधिकार है। भंवर लाल जी द्वारा दिनांक 03.06.1985 को अपनी पुत्री कृष्णा देवी के हक में वसीयत करना व उनका पंजीयन कराना गलत होने से अस्वीकार है। यह जाहिर करना भी जरूरी है कि ठाकुर जी श्री गोपालजी की सम्पत्ति की वसीयत करने का उक्त प्रबंधक या प्रन्यासी भंवर लाल को कोई अधिकार नही है। सम्पत्ति मन्दिर श्री गोपाल जी की है जिसके प्रतिवादीगण प्रबंधक व पुजारी है। प्रतिवादीगण मन्दिर की सम्पत्ति को किसी प्रकार नष्ट–भष्ट नही करना चाहते। विवादित भूमि पर श्रीमती कृष्णा देवी का कोई कब्जा नही है न अप्रार्थीगण–प्रतिवादीगण इस मद में वर्णित कोई क्षति कारित करना ही चाहते है। प्रतिवादीगण किसी प्रकार मन्दिर की जायदाद को बेचने के लिए प्रयत्नशील नहीं है। प्रतिवादी नंबर 1 व 9 की मृत्यु हुये अर्सा करीब 10 साल हो चुके है दावा मौजूदा सूरत में चलने का बिल नहीं है। अतः जवाब दावा पेश कर अर्ज है कि दावा वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमया जावें। अतः जवाब दावा पेश कर अर्ज है कि दावा वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

विचाराधीन वाद में बहस वकील वादी एकपक्षीय वादपत्र सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद में वर्णित कथनों का विवेचन करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करने हेतु निवेदन किया। बहस वकील एकपक्षीय सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व जवाब दावा व न्यायिक दृष्टांत अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत गत जमाबंदी के खसरा नंबर 53, 183, 184 के हाल खसरा नंबर 650, 651, 673 वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–77 वाकै ग्राम केशापुरा पटवार हल्का मांग्यावास भू0अ0नि0 सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के वर्तमान काश्तकार मन्दिर श्री ठाकुर श्री गोपाल जी है। दावा दायरी के समय भी काश्तकार मन्दिर श्री ठाकुर श्री गोपाल जी ही थे। तथा उक्त मंदिर का प्रन्यास दिनांक 13.01.1987 को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग में पंजीकृत है। प्रतिवादीगण का कथन की ठाकुर जी श्री गोपालजी की सम्पत्ति की वसीयत करने का उक्त प्रबंधक या प्रन्यासी भंवर लाल को कोई अधिकार नही है। सम्पत्ति मन्दिर श्री गोपाल जी की है जिसके प्रतिवादीगण प्रबंधक व पुजारी है। प्रतिवादीगण मन्दिर की सम्पत्ति को किसी प्रकार नष्ट–भष्ट नही करना चाहते। लेकिन कथनो के साक्ष्य हेतु प्रतिवादीगण ने ना तो कोई प्रमाण ना ही कोई साक्ष्य पेश किया है जिससे स्पष्ट हो की प्रतिवादीगण मन्दिर के प्रबंधक व पुजारी है। वादी का कथन की श्री स्व0 भंवरलाल शर्मा इस प्रन्यास के एक मात्र सील प्रन्यासी व प्रबंधक थे व प्रन्यासी के उत्तराधिकारी का तरीका हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार निश्चित किया गया। श्री भंवरलाल जी का स्वर्गवास दिनांक 07.01.89 ई0 को हो चुका है। श्री भंवरलाल ने अपनी मृत्यु के काफी अर्सा पर्व दिनांक 03.06.1985 ई0 को एक वसीयत अपनी पुत्री श्रीमती कृष्णा देवी के हक में तहरीर व तकमील कर उप पंजीयक सांगानेर के समक्ष पंजीकृत करवा दी। ठाकुरजी श्री गोपालजी की एक मात्र सेवायत, प्रबंधक व्यवस्थापक श्रीमती कृष्णा देवी है। लेकिन मूलवाद का उद्वेशय मन्दिर के प्रबंधक व पुजारी से संबंधित नही है। मूलवाद का उद्वेशय मन्दिर की भूमि को संरक्षित बनाये रखना है। ऐसे में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात हाल खसरा नंबर 650, 651, 673 वाकै ग्राम केशापुरा पटवार हल्का मांग्यावास भू0अ0नि0 सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि के मौका की यथास्थिति बनाये रखें, वादी को बेदखल न करें, उसमें पेडो को न काटे व मन्दिर को नष्ट न करें एवं कोइ निर्माण कार्य नही करें, भूमि का विक्रय हस्तान्तरण न करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/9/19 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2019.11.21 13:05:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: